राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर **W.R.**

अपील डिक्री / टी.ए. / 2004 / 1507 / भीलवाड़ा

रामपाली पत्नी श्री भंवरलाल, जाति तेली निवासी पुरोहितों का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़, हाल बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।

....**अपीलांट**

बनाम

राजस्थान सरकार

.....**रेस्पोडेन्ट्**

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :-
श्री वी.एस. राठौड़, अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय **दिनांक :- 17-9-2019**

1- यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3-1-2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट/वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर, मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) में दिनांक 28-5-1996 को राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी (तहसीलदार) मांडलगढ़ के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर-1389 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम बिजोलिया

का स्वामित्व भैरूसिंह पुत्र किशन जी दरोगा का था और उसका कब्जा काश्त भी था। दिनांक 29–3–1982 को अपीलान्ट/वादिया ने उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भैरूसिंह से क्रय कर ली और वह काबिज काश्त हो गयी। वर्तमान में उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई। भूमि बिलानाम दर्ज होने के कारण वादिया को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अतः विवादित भूमि पर वादिया/अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जाये और राजस्थान सरकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। जवाबदावा प्राप्त होने पर तनकीयां बनाई गई। साक्ष्य लेने पर विचारण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ ने उक्त वाद अपने निर्णय दिनांक 4–5–2002 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 3–1–2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3–1–2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत है। भैरूसिंह को विवादित भूमि आवंटित की गयी थी और 10 वर्ष पश्चात उसे खातेदारी अधिकार स्वतः मिल गये थे और उसने दिनांक 29–3–1982 को अपीलान्ट/वादिया को विवादित भूमि जरिये पंजीकृत बयनामा बेचान कर दी थी एवं उसी दिन कब्जा भी संभलवा दिया था। राजस्व अधिकारियों को चाहिये था कि वादिया के नाम इंतकाल खोला जाता, किन्तु राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि ‘‘बिलानाम’’ सरकार दर्ज कर दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,

मांडलगढ़ एवं न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने उक्त प्रकरण खारिज कर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत कार्य किया है। राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 27–2–1984 को गलत रूप से निरस्त किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाये।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि भैरूसिंह को भूमि का आबंटन किया गया था। आबंटन की शर्ते पूरी नहीं करने के कारण उसका आबंटन निरस्त कर दिया गया। गैर खातेदारी के दौरान ही उसने उक्त भूमि का बेचान अपीलान्ट को कर दिया जो कि अवैध व शून्य प्रभावी है क्योंकि गैर खातेदार को भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। आबंटन निरस्ती के आदेश के विरूद्ध कोई अपील भैरोसिंह/अपीलान्ट ने नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जो कि विधिसम्मत हैं। अतः अपील खारिज की जाये।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली में दस्तावेज ई.एक्स.–4 जमाबन्दी संवत 2051–54 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–1389 रकबा 7 बीघा पर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। ई.एक्स.2 जमाबन्दी संवत 2038–41 के अनुसार विवादित भूमि पर श्री भैरूसिंह पिता किशन दरोगा साकिन देह गैर खातेदार संवत 2032 दर्ज है। इसी में इन्तकाल संख्या–663 दिनांक 27–2–1984 द्वारा आबंटन निरस्तीकरण से बिलानाम में दर्ज करने की स्वीकृति हुई, अंकित है।

8- इसी प्रकार स्पष्ट है कि संवत 2032 में भैरूसिंह पुत्र किशन दरोगा को उक्त भूमि आबंटन नियम 1970 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ आबंटित हुई और भैरूसिंह को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। आबंटन के 10 वर्षो के पश्चात आबंटन की शर्ते पूरी करने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं किन्तु उसने दिनांक 29-3-1982 को अर्थात संवत 2039 में उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र, ई.एक्स.-1 अपीलांट/वादिया को बेचान कर दिया। धारा-42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गैर खातेदार को भूमि बेचान करने का अधिकार नहीं होने के कारण उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र ई.एक्स.-1 व्यर्थ व शून्य प्रभावी दस्तावेज है। इस दस्तावेज से अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

9- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-42 के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :-

> **The sale, gift or bequest by a Dhatedar tenants of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if**
>
> **(b) such sale, gift or bequest is by a number of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who in not a member of the Scheduled Tribe.**
>
> **(bb) shch sale, gift or bequest, not with standing anything contained in clause(b), is by a member of Saharia Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the said Saharia tribe.**

इस प्रकार धारा-42 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि बेचान केवल खातेदार कृषक ही कर सकता है, गैर

खातेदार नहीं। चूंकि भैरूसिंह गैर खातेदार था अतः उक्त बेचान व्यर्थ व शून्य प्रभावी है।

10– इन्तकाल संख्या–663 दिनांक 27–2–1984 की प्रति पत्रावली में संलग्न है जो ई.एक्स.–3 है, में अंकित है। **''आबंटन निरस्ती आदेश पालनार्थ''** और भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आबंटन की शर्तो की पालना नहीं करने पर नियम–14(4) के तहत आबंटन निरस्त कर दिया गया और भूमि बिलानाम सिवायचक दर्ज कर दी गयी है जो विधिसम्मत है। अपीलान्ट अथवा भैरूसिंह ने उक्त आदेश के विरूद्ध कहीं कोई अपील किसी राजस्व न्यायालय में की हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसलिये अपीलान्ट/वादिया का यह कथन कि राजस्व कर्मचारियों ने विवादित भूमि त्रुटिवश 'बिलानाम सरकार' दर्ज कर दी, सही नहीं है।

11– विचारण न्यायालय ने तनकीयां बनाकर साक्ष्य ग्रहण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समस्त दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण कर दिनांक 3–1–2004 को विस्तृत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हम उचित नहीं समझते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। अपीलान्ट ने अपील में कोई सारभूत तथ्य प्रकट नहीं किये हैं जिसके कारण अपील स्वीकार की जा सके।

12– फलतः यह द्वितीय अपील सारहीने होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य